प्रेस नोट दिनांक 09.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 09.04.2026
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 राहुल व उ0नि0 देवी दयाल वर्मा द्वारा केस नं0-497/2020 धारा 3 (1)R,3(1),3(2)(V), 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त आलोक कुमार पाण्डेय पुत्र विजयप्रकाश निवासी ग्राम जालिमगंज बरौलिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आलोक कुमार पाण्डेय पुत्र विजयप्रकाश निवासी ग्राम जालिमगंज बरौलिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राहुल व उ0नि0 देवी दयाल वर्मा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 09.04.2026
थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत मोहनगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।
दिनांक 08.04.2026 को प्रार्थिनी के घर पर अभियुक्त अटल तिवारी द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से गला दबा दिया गया, जिससे प्रार्थिनी बेहोश हो गई। होश आने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा उसके परिजनों पर भी हमला कर उन्हें घायल किया गया। जिसके संबंध में थाना

कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 88/26धारा 115 (2),351 (2), 109 (1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह हे0 का0 अजय कुमार, का0 हरदीप द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 88/26धारा 115 (2),351 (2), 109 (1) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अटल तिवारी पुत्र मदन प्रसाद तिवारी उम्र 36 वर्ष निवासी श्रीकांत का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत मोहनगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
01. अटल तिवारी पुत्र मदन प्रसाद तिवारी उम्र 36 वर्ष निवासी श्रीकांत का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह हे0 का0 अजय कुमार, का0 हरदीप थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 09.04.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग के अभियोग से संबंधित 10,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त युवराज पाण्डेय को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूरेदेवजानी मोड़ के पास किया गया

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम हर्रईपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ अपनी किराना गुमटी पर बैठा था, तभी दो मोटरसाइकिलों से आए 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अमित के बारे में पूछताछ कर दुकान का सामान

फेंककर नुकसान किया तथा ₹10,000 की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। प्रार्थी के अनुसार उक्त घटना ध्रुव तिवारी निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा द्वारा अपने साथियों के साथ पूर्व विवाद के चलते कराई गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288/61(2)क बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक रोहित यादव मय हमराह उप निरीक्षक शुभम सिंह, का0 सर्वेश कुमार द्वारा थाना पट्टी के मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288/61(2)क बी0एन0एस0 से संबंधित 10,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त युवराज पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कोहरावं थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पूरेदेवजानी मोड़ के पास किया गया।

ईनामिया अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त युवराज पाण्डेय पुत्र रामकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कोहरावं थाना पट्टी प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त युवराज पांडे पुत्र रामकुमार पांडे निवासी ग्राम कोहराव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 06/2025 धारा 191(1)/121(1)/132/190/191(2)/221/351(2)/352 BNS व 7 CLA Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 09/2025 धारा 109(1)/115(2)/3(5)/324(2)351(2)/352 BNS थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288/61(2)क BNS

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उप निरीक्षक रोहित यादव मय हमराह उप निरीक्षक शुभम सिंह,का0 सर्वेश कुमार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 09.04.2026
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना कुण्डा पुलिस द्वारा कुल 01 कि0ग्रा0 100 नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त सत्यम सिंह उर्फ मोनू को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 चरन सिंह , उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति , हे0का0 रमेश कुमार व म0 आ0 ट्विंकल शर्मा द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर बाजार के पास से 01 अभियुक्त सत्यम सिंह उर्फ मोनू पुत्र विक्रमजीत सिंह निवासी ग्राम टिकरिया बुजुर्ग थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को कुल 01 कि0ग्रा0 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सत्यम सिंह उर्फ मोनू के कब्जे से कुल 01 कि0ग्रा0 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 111/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- सत्यम सिंह उर्फ मोनू पुत्र विक्रमजीत सिंह निवासी ग्राम टिकरिया बुजुर्ग थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 275/2022 धारा 302,328,504,506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)(va), 3(2)(v) sc/st एक्ट थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 324/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 111/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 01 कि0ग्रा0 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 चरन सिंह , उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति , हे0का0 रमेश कुमार व म0 आ0 ट्विंकल शर्मा थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।